

**Section 118 : Appeal to Supreme Court**

- (1) An appeal shall lie to the Supreme Court –
    - (a) from any order passed by the <sup>1</sup>[Principal Bench] of the Appellate Tribunal; or
    - (b) from any judgment or order passed by the High Court in an appeal made under section 117 in any case which, on its own motion or on an application made by or on behalf of the party aggrieved, immediately after passing of the judgment or order, the High Court certifies to be a fit one for appeal to the Supreme Court.
  - (2) The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), relating to appeals to the Supreme Court shall, so far as may be, apply in the case of appeals under this section as they apply in the case of appeals from decrees of a High Court.
  - (3) Where the judgment of the High Court is varied or reversed in the appeal, effect shall be given to the order of the Supreme Court in the manner provided in section 117 in the case of a judgment of the High Court.
- 

---

<sup>1</sup> Substituted for “National Bench or Regional Benches” by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

**धारा 118 : उच्चतम न्यायालय को अपील**

- (1) उच्चतम न्यायालय में,—
- (क) 1[अपील अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ] द्वारा पारित किसी आदेश कं विरुद्ध कोई अपील की जाएगी; या
- (ख) किसी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाएगी, जो उसके स्वयं के विवेक पर या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित्त किए गए आवेदन पर, निर्णय या आदेश के पारित होने के तुरंत बाद की जाएगी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए वह एक उचित मामला है।
- (2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं, जहां तक संभव हो, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिब्री की अपीलों के मामलों में लागू होते हैं।
- (3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या उलट दिया जाता है, वहां उच्चतम न्यायालय के आदेश को उस रीति में प्रभावी किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित है।

---

1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा शब्दों "राष्ट्रीय न्यायपीठ या अपील अधिकरण की प्रादेशिक न्यायपीठों" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।